



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042024-253673
CG-DL-E-12042024-253673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251]
No. 251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2024/चैत्र 23, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2024/CHAITRA 23, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

सं. आरए-14026(11)/4/2020-केविआ.-चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2020 (इसके बाद "आरई टैरिफ विनियम, 2020" के रूप में संदर्भित) दिनांक 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए प्रवृत्त था।

चूंकि आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं.आरए-14026(11)/4/2020- केविआ द्वारा उक्त विनियमों के लागू होने की अवधि का विस्तार दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक किया था।

इसके बाद, आयोग ने अधिसूचना संख्या सं-आर-14026(11)/4/2020-केविआ दिनांक 06 सितम्बर, 2023 के माध्यम से दोबारा 31 मार्च 2024 तक उक्त विनियम की प्रयोज्यता की अवधि का विस्तार किया था।

अब इस प्रकार, आरई टैरिफ विनियम 2020 के विनियम 1 के खंड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग एतद्वारा 30 जून 2024 तक या अगली नियंत्रण अवधि के लिए आयोग द्वारा विनियमों की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, उक्त विनियमों की प्रयोज्यता की अवधि को आगे बढ़ाता है।

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./020/2024-25]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2024

No. RA-14026(11)/4/2020-CERC.—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2020 (hereinafter referred as “RE Tariff Regulations, 2020”) were applicable for the period from 1st July 2020 to 31st March 2023.

Whereas the Commission vide notification No.: RA-14026(11)/4/2020-CERC dated 27th March, 2023 initially extended the period of applicability of the said regulations till 30th September, 2023.

Thereafter, the Commission vide notification No.: RA-14026(11)/4/2020-CERC dated 06th September, 2023 again extended the period of applicability of the said regulations till 31th March, 2024.

Now therefore, in exercise of the powers under clause (2) of Regulation 1 of the RE Tariff Regulations, 2020 the Commission hereby further extends the period of applicability of the said regulations till 30th June, 2024 or notification of the Regulations by the Commission for the next control period, whichever is earlier.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./020/2024-25]